

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :- 03/52/2017

1. चिरंजीलाल पुत्र रामधन माली निवासी पलवा तहसील राजगढ - प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ - अप्रार्थी

धारा 128 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018



आज पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पलवा पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 167/0.09 गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी उक्त आराजी की पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। आज कैम्प पलवा के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी कोई आपत्ति पेश नहीं की। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070-73 से आराजी विवादित का प्रार्थी खातेदार होना साबित है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 आर.टी. एक्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 167/0.09 गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम पलवा तहसील राजगढ तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिए जाते हैं कि वो पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर आराजी की पुनः पैमाइश कर अपनी उपस्थिति में पत्थरगढी कराने की कार्यवाही कर अवगत करायें। निर्णय प्रति तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट पलवा)